

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल अस्पताल में सहायक श्रम पर्यवेषक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 05.09.2015 के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एवं कलावती सरन बाल अस्पताल में सहायक श्रम पर्यवेषक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पण्डारक के लिए इच्छु णियां अथवा सुझाव देनेटिप्प/ भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)॥(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

ग.सामंत
(ग. प्र. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को अधिकांत करते हुए, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक श्रम पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (सहायक श्रम पर्यवेक्षक), भर्ती नियम, 2019 है।
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरहता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बैतन मेट्रिक्स में स्तर या वैतनमान	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
सहायक श्रम पर्यवेक्षक	1 (एक)* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	स्तर-2 (र. 19900-63200)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	पद वैतनमान अवधि वैतनमान जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोई से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) श्रम देखभाल संबंधी पर्यवेक्षण में जुड़े किसी कार्य में दो वर्षों का अनुभव। टिप्पणि: अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं, अनुमूलित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवेश की अवधि, यदि कोई हो पद्धतियों द्वारा और विभिन्न वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>
<p>(8)</p>	<p>(9)</p>	<p>(10)</p>	<p>(11)</p>
<p>अहंताएं- हाँ आयु- नहीं वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p>	<p>सीधी भर्ती हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न 56900 रुपए) में तीन वर्ष की तिथिमित सेवा वाले समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहताओं का धारण करते हैं।</p>	<p>प्रोन्नति: स्तर 1 (18000- 56900 रुपए) में तीन वर्ष की तिथिमित सेवा वाले समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जो कलावती सरन बाल अस्पताल उप-निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य स्नास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक</p>
<p>(12)</p>	<p>(13)</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल 2. उप-निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य 3. स्नास्थ्य सेवा महानिदेशालय में - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[ए.11018/10/2016-एमएच ||]

(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)